दावा अन्तर्गत धारा 88–188 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 20/4/26

वादी की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता, व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए इकबाल दावा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:– वाद वादीगण स्वीकार कर निम्न अनुसार राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 88 आरटीए के तहत घोषिणा की जाती है –

चक 1 टी के प. न. 53/350 का किला न. 14,17,24 की 0.759 हैक्टर कमाण्ड भूमि मे वादीगण को ब. हि. बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किये जातें है रहन बदस्तूर रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 विनोद कुमार का नाम कलमजन किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 20/4/16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा